राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित

तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा

REET MAINS

LEVEL-I (कक्षा 1 से 5 के लिए) | Level-II (कक्षा 6 से 8 के लिए)

शैक्षिक परिदृश्य, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

भाग-4

विशेषताएँ:

1. संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं नवीनतम परीक्षा प्रणाली पर आधारित
2. परिक्षोपयोगी संभावित प्रश्नोतरों का संग्रह
3. NCERT & RBSE एवं शिक्षा विभाग के विभिन्न पोर्टल्स के सार का समावेश

विगत वर्ष के प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल
लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर
के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध

कुणाल सनाढ्य सर

अक्षांश पब्लिकेशन

M. 9079798005, 6376491126
Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle, Main Road, Udaipur

AKSHANSH
PUBLICATION

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित

तृतीय श्रेणी
अध्यापक
मुख्य परीक्षा
REET MAINS

LEVEL-I (कक्षा 1 से 5 के लिए) | Level-II (कक्षा 6 से 8 के लिए)

शैक्षिक परिदृश्य, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

भाग-4

"अक्षांश प्रकाशन की समस्त पुस्तकें लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं अक्षांश प्रकाशन की समर्पित टीम के सहयोग से तैयार की गई हैं।"

संपादक
कुणाल सर

सह संपादक
राजवर्धन बेगड़, गंगा सिंह, निशांत सोलंकी

प्रकाशन
अक्षांश प्रकाशन, उदयपुर (राज.)

MRP ₹160

नोट :- अब लक्ष्य क्लासेज़ की सभी आगामी पुस्तकें केवल 'अक्षांश प्रकाशन' के माध्यम से ही प्रकाशित की जाएंगी। ये सभी पुस्तकें बाजार में 'अक्षांश' नाम से ही उपलब्ध होंगी। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आगामी समय में 'लक्ष्य' नाम से कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं की जाएगी। इसलिए कृपया पुस्तक खरीदते समय केवल 'अक्षांश प्रकाशन' के नाम से प्रकाशित और अधिकृत पुस्तकें ही बुक स्टोर्स से प्राप्त करें, ताकि आपको प्रमाणिक, अद्यतन एवं परीक्षा-उपयुक्त सामग्री प्राप्त हो।भविष्य में 'लक्ष्य' नाम से प्रकाशित किसी भी पुस्तक की सामग्री या गुणवत्ता की जिम्मेदारी 'अक्षांश प्रकाशन' या 'लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर' की नहीं होगी।

प्रकाशन
अक्षांश प्रकाशन
Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle,
Main Road, Udaipur

लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर से जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करे

TELEGRAM INSTAGRAM YOUTUBE FACEBOOK WHATSAPP

बुक कोड - AP0004

©सर्वाधिकार - अक्षांश प्रकाशन
akshanshpublicationjdr@gmail.com

मुख्य वितरक - लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर
M. 9079798005, 6376491126

अक्षांश प्रकाशन ने इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्त्रोतों से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में प्रकाशित सभी प्रकार की सामग्री पूर्णतः तथ्यात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इस पुस्तक के किसी भी भाग और सामग्री को अक्षांश प्रकाशन की अनुमति और जानकारी के बिना अन्यत्र प्रकाशित या प्रिन्ट करना अनुचित है, यदि ऐसा पाया जाता है तो व्यक्ति या संस्थान स्वयं जिम्मेदार है।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	अध्याय	पेज संख्या
1.	शिक्षण अधिगम के नवाचार	1 - 15
2.	केन्द्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार	16 - 22
3.	विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ	23 - 42
4.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020	43 - 48
5.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और 2011	49 - 67
6.	राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश	68 - 72
7.	राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य एवं शिक्षण संस्थाएँ	73 - 106
8.	विगत वर्ष के प्रश्न	107 - 109

01 शिक्षण अधिगम के नवाचार

शैक्षिक नवाचार

- राजस्थान सरकार विद्यार्थियों के हितार्थ उन्हें शैक्षिक लाभ पहुंचाने हेतु प्रयासरत है।
- राजस्थान राज्य में विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास निर्बाध रूप से हो इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हुए शैक्षिक नवाचार किए गए। शैक्षिक नवाचारों का वर्णन निम्न प्रकार है-

स्माइल कार्यक्रम

- (SMILE: Social Media Interface for Learning Engagement)
- SMILE स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की एक नवीन शैक्षणिक पहल है।
- कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के समय घर पर सुरक्षित बैठे विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक स्तर तथा पाठ्यक्रम के अनुसार -कंटेंट या शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना इस कार्यक्रम का तात्कालीन उद्देश्य था।

स्माइल 1.0

- इस कार्यक्रम को 13 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ किया गया।
- इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय के अभिभावकों एवं अध्यापकों के दो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिस पर प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे E-content शैक्षिक सामग्री 13 अप्रैल 2020 में प्रेषित की गई।
- SMILE का शाब्दिक अर्थ सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाये रखना हैं।
- इससे बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण सामग्री प्राप्त हुई। एकि
- स्माइल के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को घर बैठे ई-कन्टेन्ट एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई गई।
- स्माइल के लिए ई-कन्टेन्ट आरएससीईआरटी उदयपुर द्वारा तैयार किया गया।
- कक्षा-1 से 12 के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 30-40 मिनट के विडियो के लिंक प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे संदेश 'रोज सवेरे 9:00 बजे, हर घर स्कूल घंटी बजे' के साथ भेजे जाते थे।

e कंटेट भेजे जाने की प्रक्रिया :-

- राज्य स्तर पर RSCERT द्वारा विद्यार्थियों हेतु उपयोगी शिक्षण सामग्री का चयन किया जाता है। उसके बाद उसे सभांग - जिला- ब्लॉक स्तर के माध्यम से पंचायत स्तर पर PEEO को सम्प्रेषित किया जाता है।
- PEEO द्वारा शिक्षकों के ग्रुप में तथा शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुँचाई जाती है।

स्माइल 2.0

- प्रारम्भ 2 नवम्बर 2020 को 'आओ घर में सीखें' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया।
- उद्देश्य - SMILE कार्यक्रम के तहत् भेजे गए ई-कंटेट के साथ विद्यार्थी का जुड़ाव हो, इसके लिए उन्हें निरंतर गृहकार्य प्रदान करना व उसका मूल्यांकन करना।
- राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा इस्माइल कार्यक्रम के अगले कदम के रूप में स्माइल 2.0 कार्यक्रम 2 नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को.' आओ घर में सीखें' नाम दिया गया है। इस हेतु विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाएं की जा रही हैं
- शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को कॉल करना प्रतिदिन 5 विद्यार्थियों को कॉल करना (प्रति शिक्षक)
- **क्रियान्वयन** - प्रत्येक कक्षा का अलग व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से गृहकार्य भेजा जाता था।
- विद्यार्थी उक्त कार्य को अपने नोटबुक में करके उसकी फोटो ग्रुप पर अपलोड करते थे जिसका प्रिंट निकालकर कक्षाध्यापक उसे विद्यार्थीवार पोर्टफोलियों में संधारित करता था। उक्त पोर्टफोलियो में संधारित गृहकार्य को उस सत्र के मूल्यांकन का भाग बनाया गया।
- जो विद्यार्थी व्हाट्सअप ग्रुप पर नहीं जुड़े थे, अध्यापक उनके घर जाकर गृहकार्य देते थे तथा गृहकार्य शीट प्राप्त करके पोर्टफोलियो में संलग्न करते थे।

गृहकार्य

- कक्षा 1 से 5 (प्रत्येक सोमवार)
- कक्षा 6 से 8 (प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार)
- इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के द्वारा घर-घर जाकर विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया गया तथा जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ सकते थे उन्हें ऑनलाइन गृहकार्य भेजा गया।
- गृहकार्य की प्रति को फाइल में सुरक्षित कर प्रत्येक विद्यार्थी (कक्षा से 1 से 8 तक) का पोर्टफोलियो तैयार किया गया।

स्माइल 3.0

- SMILE-3.0 का प्रारम्भ शिक्षा विभाग द्वारा 21 जून 2021 से किया गया है।
- **उद्देश्य-** कोविड-19 की वजह से उपजी परिस्थितियों में विद्यार्थियों को हुए लर्निंग लॉस को न्यूनतम करने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर कंटेट उपलब्ध करवाना, गृहकार्य के द्वारा निरंतर मूल्यांकन करना तथा व्हाट्सअप आधारित क्विज द्वारा सतत् मूल्यांकन करना।
- शिक्षा विभाग के इस नवाचारी कार्यक्रम में आओ घर से सीखें 2.0, स्माइल - 3.0, शिक्षावाणी, शिक्षादर्शन, व्हाट्सएप क्विज एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थ अभियान शामिल हैं।
- SMILE-3.0 नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्य स्माइल 3.0 में गत सत्र 2020-21 के समान ही विद्यालयों द्वारा दैनिक रूप से प्राप्त होने वाली शैक्षणिक सामग्री के लिंक को विद्यार्थियों तक कक्षावार बनाए गए।
- कार्यक्रम में गत वर्ष की भाँति कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए दक्षता आधारित कंटेंट एवं गृहकार्य के लिए वर्कशीट्स को प्रतिदिन व्हाट्सएप समूह के माध्यम से प्रातः 8.00 बजे साझा किया जाता है।

- क्रियान्वयन SMILE 3.0 के तहत् ई-कंटेट सुबह 8.00 बजे पेरेंट्स व्हाट्सअप ग्रुप पर अपलोड किया जाता है। बाद में गृहकार्य का मूल्यांकन तथा साप्ताहिक क्विज का आयोजन किया आता है जिसमें निम्न प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं :-

स्माइल 3.0 के तहत निम्नलिखित कार्य किए गए

- वाट्सएप ग्रुप का निर्माण।
- व्हाट्सऐप ग्रुप्स में डिजिटल अध्ययन सामगी भेजना
- गृहकार्य वर्कशीट भेजना।
- विद्यार्थी पोर्टफोलियो तैयार करना।
- व्हाट्सएप आधारित क्विज, प्रश्नोत्तरी
- फोन कॉल के माध्यम से विद्यार्थियों से जुड़ना।

स्माइल कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित है-

- कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना।
- ऑनलाइन पाठ्यसामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना।
- सोशल मीडिया (व्हाट्सएप) के माध्यम से शिक्षण सामग्री की पहुँच विद्यार्थियों तक सुनिश्चित करना।
- विद्यार्थियों को कक्षावार व समूहवार शिक्षण सुनिश्चित करते हुए गृहकार्य प्रदान करना एवं फिडबैक लेना।

शिक्षा दर्शन

- शिक्षा दर्शन की शुरूआत 1 जून, 2020 को हुई।
- राजस्थान सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के प्रयासों से कोविड-19 के दौरान घर बैठे विद्यार्थियों को दूरदर्शन के माध्यम से ई-लर्निंग करवाने के उद्देश्य से शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरूआत की गई।

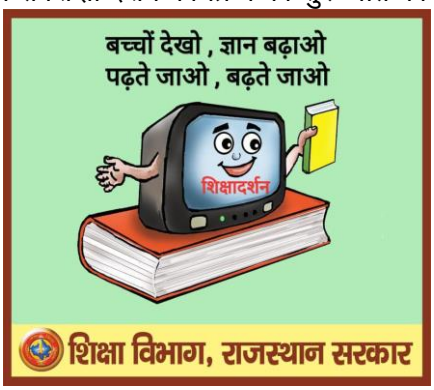

- **वाक्य-** 'बच्चों देखों ज्ञान बढ़ाओं, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ'
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्रों के लिए शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किया। कार्यक्रम का प्रसारण 1 जून 2020 से डी.डी. राजस्थान चैनल पर तीन भागों में हुआ है।
- ये तीन भाग (3.15 घंटे) के निम्न समय एवं कक्षा हेतु प्रसारित किए जाते हैं। शिक्षा दर्शन के कार्यक्रम प्रतिदिन 195 मिनिट प्रसारित हुए।
- यह डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जाने वाला एक शैक्षिक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन सवा तीन घंटे कक्षा 1 से 12 तक के लिए पाठ्यसमग्री का प्रसारित किया जाता है।
- शनिवार को 'नो बैग डे' पर कैरियर, कला, क्राफ्ट, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं जीवन उपयोगी एपिसोड्स को प्रसारित किया जाता है।

प्रसारण समय सारणी

12:30 से 01:30 बजे तक- कक्षा 9 से 10
01:30 से 02:30 बजे तक - कक्षा 11 से 12
03:00 से 03:30 बजे तक - कक्षा 1 से 5
03:30 से 04:15 बजे तक - कक्षा 6 से 8

- प्रत्येक शनिवार की सामग्री शिल्प, कला आदि पर आधारित होगी।
- शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की पाठ्यसामग्री राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा तैयार की गई।

नोट-

1. यह कार्यक्रम RSCERT (राजस्थान शिक्षा विभाग) द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।
2. RSCERT के साथ सामग्री निर्माण व डिजिटल सहयोग में एकोवेशन (Eckovation), टिक टैक लर्न तथा सेन्ट्रल स्कायर फाउण्डेशन की भूमिका रही है।
3. कक्षा 5 तक काटूर्न के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है।st
4. यह कार्यक्रम गर्मियों की छुट्टियों में भी संचालित किया जा रहा है।
5. शनिवार के दिन जीवन कौशल, कला, काफ्ट, करियर तथा मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है।

शिक्षा वाणी

- शिक्षा वाणी की शुरूआत 11 मई 2020 को हुई।
- कोविड-19 महामारी में विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षावाणी (Shiksha Vani) योजना की शुरुआत की गई ।

- **ध्यये वाक्य-**
  प्यारे बच्चों कान लगाओ,
  पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।
  कार्यक्रम की रूपरेखा-
  1. प्रसारण समय- प्रातः 11:00 बजे से 11:55 बजे तक (55 मिनट) सोमवार से शनिवार
  2. प्रसारण - आकाशवाणी के ऑल इण्डिया रेड़ियो पर राजस्थान के 25 रेडियो स्टेशन पर निःशुल्क प्रसारण।
  3. कंटेंट - कक्षा 1-2 के लिए 'मीना की कहानी' व कक्षा 3-12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट (प्रत्येक शनिवार को हवामहल कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।)

दैनिक सामग्री के प्रसारण की समय सारणी

समय	–	कक्षा
पहले 15 मिनट	–	कक्षा 1 और 2
16 मिनट से 35 मिनट	–	कक्षा 3 से 8
36 मिनट से 55 मिनट	–	कक्षा 9 से 12

हवामहल (प्रत्येक शनिवार)

शिक्षण-सामग्री निर्माण –

- शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCERT उदयपुर के नेतृत्व में डाइट तथा MoU के तहत विभिन्न संस्थाओं व उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है।

नोट–

1. शिक्षावाणी का प्रसारण बीच में रोक दिया गया था जिसे 'आओ घर से सीखें 2.0' कार्यक्रम के साथ 21 जून, 2021 से पुनः प्रारम्भ किय गया।
2. शिक्षावाणी की CBSE द्वारा संचालित पॉडकास्ट आधारित एप्लीकेशन भी है जिसका उद्देश्य उचित समय पर बच्चों तथा अभिभावकों को सूचनाएं सम्प्रेषित करना है।
3. रेडियो के माध्यम से इस शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन 55 मिनिट किया जाता है।
4. दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता के कारण शिक्षा विभाग रेडियो के माध्यम से 55 मिनट का शैक्षणिक कार्य प्रसारण 11 मई 2020 से प्रतिदिन प्रातः 11:00 से 11:55 तक कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम आधारित श्रव्य पाठों का प्रसारण शिक्षा वाणी के माध्यम से किया जा रहा है।
5. इसका साप्ताहिक प्रसारण कार्यक्रम विभिन्न विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य माध्यमों से सभी को उपलब्ध करवाया जाता है। ताकि विद्यार्थियों तक निर्बाध रूप से शैक्षणिक सामग्री पहुंच सके।

शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा वाणी के उद्देश्य निम्नलिखित है-

- कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना।
- रेडियो व टी.वी. के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना।
- दृश्य-श्रृव्य संसाधनों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को रोचक तरीके से विद्यार्थियों तक प्रसारित करना।

दीक्षा एवं दीक्षा राइज

- **DIKSHA - Digital Infrastructure for Knowledge Sharing**
- दीक्षा (DIKSHA) दीक्षा स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो NCERT की एक पहल है।
- केन्द्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) ने 5 सितंबर 2017 को (उपराष्ट्रपति बैंकया नायडू द्वारा) शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम दीक्षा पोर्टल (diksha.gov.in) को शुरुआत की।
- दीक्षा-पोर्टल का विकास "One Nation, One Platform" के आधार पर NCERT द्वारा किया गया है।
- इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक गुणवत्ता वाली सामग्री ले सकते हैं और सामग्री को कई लोगों में बांटा जा सकता है और बुनियादी ढांचा मल्टी चैनल है, जिसका मतलब है कि यह पोसी, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि जैसे विभिन्न प्रारूपों पर पहुंचा जा सकता है।

दीक्षा एप्लीकेशन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है-

- दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षक व शिक्षार्थियों तक विषय सामग्री की पहुँच 36 भाषाओं में सुनिश्चित कराई जाती है।
- इसमें शिक्षक, अधिगमकर्ता तथा प्रशासक के लिए अपनी पसंद के आधार पर Sign in के विकल्प है।
- इसमें CBSE, CISCE, IGOT-Health, NIOS, NCERT तथा विभिन्न SCERT के ई-कंटेट उपलब्ध है।
- दीक्षा को MIT लाइसेंस आधारित ओपन सॉर्स तकनीक, सनबर्ड द्वारा बनाया गया है।
- NCERT द्वारा ई-विद्या टीवी चैनल पर 24×7 प्रसारित किये जाने वाले कक्षा 1 से 12 के ई-कंटेंट को दीक्षा के साथ लिंक किया गया।
- दीक्षा-पोर्टल ओपन सोर्स तकनीकी पर आधारित है जो Made in india and Made for India की अवधारणा पर विकसित है।
- दीक्षा-पोर्टल का उपयोग भारतीय शिक्षा के सभी इकोसिस्टम द्वारा किया जाता है। जैसे-
  1. शिक्षाविद्
  2. विषय विशेषज्ञ
  3. सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएँ
  4. निजी संस्थाएँ
  5. स्वायतशासी संस्थाएँ
- वर्तमान राजस्थान राज्य में DIKSHA Portal का राजस्थान संस्करण DIKSHA RISE Portal (https://diksha.gov.in/ 7) है।
- DIKSHA पोर्टल पर शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु से संबंधित ऑनलाइन Teaching and Learning Contents (TLC) उपलब्ध है तथा विषय वस्तु संबंधित पाठ्य सामग्री के निर्माण की सुविधा भी उपलब्ध हैं।
- शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग द्वारा पाठ्य सामग्री के निर्माण में रुचि रखने वाले सृजनात्मक अभिवृत्ति वाले शिक्षक DIKSHA पोर्टल से जुड़ कर Teaching and learning contents (TLC) का निर्माण कर सकतें हैं। इसके अतिरिक्त इस पोर्टल पर संस्थाप्रधानों तथा शिक्षकों के लिए विभिन्न व्यावसायिक उन्नयन पाठ्यक्रम (Pro- fessional development courses) भी उपलब्ध है। DIKSHA RISE Portal पर उपलब्ध TLC को मोबाइल पर DIKSHA APP के माध्यम से भी उपयोग किया जा सकता है।

दीक्षा राइज पोर्टल विशेषताएँ निम्नलिखित है -

- अपनी निजी जानकारी का पृष्ट बनाएँ।
- व्यक्तित्व प्रधान पाठ्यक्रम को चुनें
- अपनी स्वयं की विषयवस्तु सृजित करें।
- राज्य के आस-पास के शिक्षकों से जुड़े।
- कक्षा-कक्ष संसाधनों का उपयोग करें (विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध)।
- अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें।

दीक्षा-पोर्टल का उपयोग-

- शिक्षक प्रशिक्षण व नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- पाठ योजना तैयार करना व शिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग।
- व्याख्या सामग्री उपलब्ध कराना।
- अभ्यास व गृहकार्य प्रदान करना।
- प्रश्न बैंक व परीक्षा तैयारी।
- आकलन (Assessment)
- क्विज प्रतियोगीता।
- इसमें संस्था प्रधानों/शिक्षकों के लिए कठिन topics हेतु ऑनलाइन Teaching and Learning Contents (TLC) निर्माण सुविधा व विभिन्न Professional Development Courses उपलब्ध है।
- राजस्थान में कक्षा 1 से 12 के सभी विषयों के लिये कंटेंट निर्माण का कार्य शिक्षकों के द्वारा किया गया है जो कि DIKSHA पोर्टल व DIKSHA APP पर सभी के लिए उपलब्ध है।
- कक्षा 1 से 12 के सभी विषयों हेतु Hard Spots का चयन कर कंटेंट निर्माण कार्य राज्य की DIET's तथा CTE's के माध्यम से किया जा रहा है जो QR Codes के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध करवाया गया है।

DIKSHA - Digital Infrastructure for Knowledge Sharing

RISE- Rajasthan Interface for School Educators

दीक्षा-राईज

- राजस्थान राज्य के शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफार्म है।
- शिक्षा विभाग व NCTE (National Council for Teacher Education) द्वारा तैयार किया गया।
- **आदर्श वाक्य- हमारे शिक्षक, हमारे नायक।**
- दीक्षा-राइज का राज्य में विकास RSCERT उदयपुर के प्रभाग (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग, अजमेर) द्वारा किया जा रहा है।

दीक्षा-राईज के उद्देश्य निम्नलिखित है-

- शिक्षकों को गुणवत्तायुक्त मंच प्रदान करना।
- शिक्षकों का व्यक्तिगत व व्यावसायिक विकास करना
- शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता विकसित करना।
- शिक्षा के सभी इकोसिस्टम को लाभान्वित करना।
- ई-कन्टेंट व ई-बुक उपलब्ध करवाना।शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों व संस्थाप्रधानों को कंटेंट उपलब्ध करवाना व लाभान्वित करना।
- राज्य की पाठ्यसामग्री व पाठ्यचर्या से अवगत करना।
- ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- समावेशी शिक्षा की पुस्तकों को ऑडियो फार्मेट में तैयार करना।
- उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री उपलब्ध कराना।
- कक्षा 1 से 12 की पाठ्यपुस्तकों पर क्यू आर कोड उपलब्ध कराना व कठिन बिन्दु चिह्नित करना।
- विद्यार्थियों के लिए वर्कबुक उपलब्ध कराना।
- छोटे बच्चों के लिए (कक्षा 1 व 2) कॉमिक बुक उपलब्ध कराना।
- शिक्षा दर्शन व शिक्षावाणी का कंटेंट दीक्षा पोर्टल पर अपलोड करना।
- शिक्षा से संबंधित एनिमेटेड विडियो उपलब्ध कराना।

दीक्षा राईज के लाभ निम्नलिखित है-

- डिजिटल शिक्षा की अवधारणानुसार ई-कंटेंट उपलब्ध करवाना।
- एक राष्ट्र/एक राज्य एक प्लेटफार्म।
- शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं संस्थाप्रधानों/अधिकारियों को सहायता।
- उच्चगुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मंच।
- स्व मूल्यांकन आधारित मंच।
- अभिभावक विद्यालय समय के बाद शिक्षकों से संवाद कर सकते हैं।
- शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों के लिए मंच।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 के लिए उपयोगी।
- विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण ऑनलाइन व ऑफलाइन उपलब्ध करवाना। जैसे निष्ठा।

निष्ठा -

- स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल है।
- एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्राधानाचार्य की क्षमता का निर्माण करना है।
- पदाधिकारियों (राज्य, जिला, ब्लॉक, क्लस्टर स्तर पर) को सीखने के प्रतिफलों, स्कूल आधारित मूल्यांकन, शिक्षार्थी - केंद्रित शिक्षाशास्त्र, शिक्षा में नई पहल, बहुल शिक्षाशास्त्रों आदि के माध्यम से बच्चों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने पर एकीकृत तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय संसाधन समूह और राज्य संसाधन समूहों (एसआरजी) का गठन करके आयोजित किया जाएगा। इस क्षमता निर्माण की पहल के साथ एक कड़ी निगरानी और सहायक तंत्र का भी उपयोग किया जाएगा।

NISHTHA : National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement

- NISHTHA 1.0 : Elementary level (Classes I-VIII)
- NISHTHA 2.0 : Secondary level (Classes IX-XII)
- NISHTHA 3.0 : Foundational Literacy & Numeracy
- NISHTHA 4.0 : Early Childhood Care & Education

State Initiative for Quality Education

- गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल (State Initiative for Quality Education: SIQE)- राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक) कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से State Initiative for Quality Educa- tion (SIQE) कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- इसके अन्तर्गत शिक्षकों की क्षमतावर्धन के साथ-साथ बाल केन्द्रित पेडागोजी (CCP) के आधार पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया (CCE) तथा गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL) प्रक्रिया को अपनाया।
- कार्यक्रम का क्रियान्वयन निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद तथा एसआईईआरटी उदयपुर के माध्यम से किया जा रहा है।
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में मूल्यांकन की सतत् एवं व्यापक प्रणाली (CCE) को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2010-11 में जयपुर के 20 शहरी तथा अलवर जिले के 40 ग्रामीण विद्यालयों में लागू किया।
- इसके बाद क्रमिक रूप से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में CCE को लागू किया गया।
- राज्य में CCE के प्रभावी क्रियान्वयन तथा साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए वर्ष 2015-16 में सघन कार्यक्रम चलाया गया।
- इसके लिए अप्रेल, 2015 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, यूनिसेफ, बोध शिक्षा समिति जयपुर, RSCERT (SIERT) उदयपुर तथा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के मध्य 'स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी ऐजुकेशन (SIQE) के नाम से एक MoU (समझौता) हुआ।
- प्रारंभ में SIQE को समन्वित विद्यालयों (1 से 12) तथा आदर्श विद्यालयों में ही प्राथमिक स्तर तक लागू किया गया था।
- राज्य में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया चरणवार लागू हुई।
- वर्तमान में राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उत्त्व माध्यमिक) की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया है।
- राज्य में एसआईक्यूई का संचालन सत्र 2015-16 (अप्रैल 2015) से किया गया जो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ही परिवर्तित रूप है।
- जिसमें मुख्यतः 3 गतिविधियाँ शामिल है

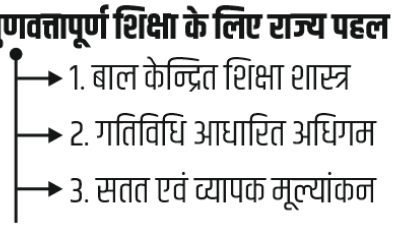

SIQE के उद्देश्य निम्नलिखित है-

- बालकेन्द्रित शिक्षण द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना।
- इन विद्यालयों में संस्था प्रधान जैसे वरिष्ठ पद की उपलब्धता के कारण कार्यक्रम को एक सशक्त नेतृत्व मिला।
- बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना।
- गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनन्ददायी एवं प्रभावी बनाना।
- ज्ञान को स्थाई एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना।
- गुणवतापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएँ- जैसे पर्याप्त कक्षा-कक्ष, मानवीय संसाधन आदि को उपलब्धता समन्वित विद्यालयों में ही थी।
- बच्चों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिन्तन का विकास करना।
- बच्चों के शैक्षिक स्तर को कक्षा स्तर के अनुरूप करना ताकि उच्च कक्षाओं में अधिगम में सुगमता हो।
- बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाते हुए संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना।
- बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ-साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना।
- शिक्षकों का समुदाय से जुड़ाव के तहत बच्चों की उपलब्धि एवं प्रगति को अभिभावकों से साझा करना।
- बाल केन्द्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित अधिगम और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) के समन्वित क्रियान्वयन द्वारा विद्यार्थियों में रचनात्मक सृजनात्मक क्षमता तथा शिक्षकों के साथ अन्तः क्रिया का विकास करना।
- क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए समन्वित विद्यालय व आदर्श विद्यालय को 'एक संदर्भ विद्यालय' तथा सेंटर फोर एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करना।

SIQE का संचालन-

- SIQE के सफल संचालन के लिए राज्य व जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है-

i. परियोजना परिचालन समिति

- यह कार्यक्रम की सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है।
- यह आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् (वर्तमान राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्) की अध्यक्षता में गठित की गई है।
- इसका प्रमुख कार्य सभी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेना है।

ii. राज्य कार्यकारी समूह

- यह अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में गठित की गई।
- इस समूह का प्रमुख कार्य- SIQE कार्यक्रम की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन परियोजना परिचालन समिति के निर्देशानुसार करना।

iii. राज्य शैक्षिक समूह

- यह निदेशक, RSCERT की अध्यक्षता में गठित की गई।
- यह समूह समस्त शैक्षणिक व तकनीकी मुद्दों के लिए शीर्ष निकाय है।

iv. जिला कोर ग्रुप

- जिला स्तर पर SIQE कार्यक्रम का नोडल प्रभारी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (ADPC) होता है।
- जिला शिक्षा अधिकारी को ही ADPC नियुक्त किया जाता है। जिला कोर ग्रुप का प्रमुख कार्य जिले में कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि का संचालन करना एवं रिपोर्ट तैयार करना।
- ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कोर ग्रुप का निर्माण किया जाता है।

v. जिला अकादमिक समूह

- यह जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की अध्यक्षता में गठित की गई।
- जिला अकादमिक समूह का कार्य DIET प्राचार्य सहित अच्छे शिक्षकों के समूह द्वारा जिले में होने वाली विषय आधारित कार्यशालाओं का अवलोकन करना, आदर्श विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना तथा कक्षा प्रक्रियाओं की बेहतर बनाने का प्रावधान करना।

SIQE कार्यक्रम का क्रियान्वयन -

- कार्यक्रम का संचालन एवं शैक्षिक कार्य संयुक्त रुप से निदेशालय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाता है।
- कार्यक्रम संचालन के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के माध्यम से किया जाता है।
- कार्यक्रम संचालन हेतु मॉनिटरिंग का कार्य संयुक्त रुप से निदेशालय, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर और एससीईआरटी, उदयपुर द्वारा किया जाता है।
- समस्त अकादमिक कार्य एससीईआरटी, उदयपुर द्वारा किया जाता है।
- कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं संचालन राज्य स्तर पर सहयोगी संस्थाओं के तकनीकी सहयोग से किया जाता है। इस हेतु संभाग स्तर पर नियुक्त Z.S.F. (Zonal Support Fellow) एवं जिला स्तर पर नियुक्त D.S.F. (District Support Fel- low) तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

जिला स्तरीय संस्थानों की भूमिका-

- समन्वित कार्यक्रम State Initiative for Quality Education के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (माध्यमिक), जिला कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) को समन्वयन बनाते हुए कार्य करना होगा।

i. जिला शिक्षा कार्यालय (माध्यमिक)-

इसके कार्य निम्नलिखित है -

1. सभी प्रशासनिक कार्य करना-

- दक्ष प्रशिक्षकों/शिक्षकों को मासिक बैठकों,
- प्रशिक्षण व मासिक कार्यशाला में उपस्थिति के लिए निर्देश देना
- बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित करना।

2. प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठक आयोजित करने में प्रशासनिक मदद करना।

3. सभी स्कूलों में विद्यार्थी व शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करना।

ii. जिला कार्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् – इसके कार्य निम्नलिखित है -

- प्रशिक्षणों व कार्यशालाओं के लिए आवश्यक नियोजन, सामग्री व वित्तीय व्यवस्था करना।
- स्कूलों को मॉनीटरिंग व संबलन प्रदान करना।
- शिक्षकों की प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण करना।

iii. जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) -

इसके कार्य निम्नलिखित है -

- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करना।
- शिक्षक प्रशिक्षणों का अवलोकन कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- अपने सभी प्रशिक्षणों में सीसीई पद्धति को शामिल करना।
- अकादमिक नेतृत्व के रूप में काम करना।
- जिला स्तरीय संस्थानों का सहयोग देने के लिए यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से, प्रत्येक जिले पर जिला समर्थन अध्येता (District Support Fellow, DSF) उपलब्ध करवाया जाएगा। D.S.F. कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग में मुख्य सलाहकार के रूप में समर्थन प्रदान करेगा।

SIQE एवं शिक्षकों की भूमिका :-

- इस कार्यक्रम में शिक्षकों की भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण है।
- शिक्षकों हर टर्म में कम से कम दो बार रचनात्मक आकलन करना
- हर टर्म की समाप्ति के बाद एक योगात्मक आकलन करना होता है।
- रचनात्मक आकलन व एक योगात्मक के बाद बच्चों के साथ टर्म में रही कमजोरी पर उपचारात्मक शिक्षण कार्य करवाना।
- शिक्षक योजनानुसार निर्धारित टर्म के भाग पर शिक्षण करवाते हुए अवलोकन अभिलेखन, चैकलिस्ट, पोर्टफोलियो, होमवर्क, कार्यपत्रक, बातचीत एवं प्रोजेक्ट गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम का सतत् आकलन करता है।

SIQE एवं प्रधानाचार्यों की भूमिका -

- विद्यालय स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था करना।
- प्रधानाचार्य प्रत्येक माह कम से कम एक बार कक्षा 1 से 5 में शिक्षण कराने वाले सभी शिक्षकों के साथ औपचारिक बैठक एवं कार्य प्रगति की समीक्षा करना।
- कक्षा 1 से 5 तक समस्त विद्यार्थियों का बेसलाइन, मिडटर्म एवं एण्डलाइन मूल्यांकन तथा फौडिंग निर्धारित तिथियों पर किया जाता है।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की पृष्ठ भूमि एवं अवधारणा

- शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का अधिकार है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना।
- कानून के सेक्शन 29 में स्पष्ट कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि वह पाठयक्रम बच्चों का सर्वांगीण विकास करने वाला हो। स्कूल और कक्षाओं में पढ़ने-पढ़ाने के तरीके बच्चों की अंर्तनिहित क्षमताओं को उभारे और उनमें अपना ज्ञान निर्माण स्वयं करने की दक्षता विकसित हो।

- बच्चों ने जो सीखा है उसका मूल्यांकन उनके पढ़ने के दौरान लगातार होता रहे और उन्हें परीक्षा का भय नहीं लगे।
- इस अर्थ के आधार पर कहा जा सकता है कि, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया वास्तव में व्यापक गुणवत्ता अभिवृद्धि की प्रक्रिया ही है।
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सीई) का अर्थ विद्यार्थी के स्कूल-आधारित मूल्यांकन व्यवस्था से है, जो विद्यार्थी के सीखने के सभी पक्षों पर ध्यान देती है।

पोर्टफोलियो -

- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के पास बच्चों का आकलन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिये। इसके लिए बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को संकलित करना आवश्यक है।
- विद्यार्थियों द्वारा किए गये कार्यों को साक्ष्य के रूप में संधारित करने के लिए विद्यार्थीवार एक फाईल बनाई जाती है। इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। यह बच्चे सृजनात्मकता, मौलिकता एवं शैक्षिक प्रगति का आईना है।
- एक निश्चित अवधि में बच्चे की दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक (उत्तरोत्तर) अधिगम उपलब्धि के संचयी साक्ष्य के रूप में विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में नामांकित बच्चों के लिए विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो फाईल संधारित किया जाता है।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया :-

1. आधार रेखा मूल्यांकन/पदस्थापन की प्रक्रिया:

- किसी कक्षा में नामांकित सभी बच्चों का स्तर शैक्षिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न होता है।
- स्तर की इसी भिन्नता को आकलन टूल की सहायता से जानना आवश्यक है जिससे प्रत्येक बच्चे के साथ उस द्वारा प्राप्त स्तर से कार्य प्रारम्भ कर संबंधित टर्म सत्र के अधिगम उददेश्यों को प्राप्त किया जा सके।

2. एक अकादमिक शैक्षिक सत्र के लिए योजना एवं आकलन की संरचना

- प्रत्येक कक्षा एवं विषय के अधिगम उद्देश्यों को व्यवस्थित करते हुए शिक्षण सत्र को सत्र 2018-19 से तीन (3) टर्म में विभाजित किया गया है।
- प्रत्येक टर्म के लिए एसआईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण योजना का नियोजन करते हुए कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया में योजनानुसार कार्य करवाया जाए।
- टर्म के दौरान सतत् रचनात्मक आकलन करते हुए बच्चों से साप्ताहिक और पाक्षिक कार्य पत्रकों पर कार्य करवाया जाए।
- सत्र 2018-19 से टर्मवार निम्न परिवर्तन किये गये हैं-
- CCE के तहत योगात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी जो क्रमशः SA- 1 सितम्बर, SA-2 जनवरी, SA-3 अप्रैल माह में आयोजित होगी।

SIQE में निम्नलिखित 3 गतिविधियाँ महत्त्वपूर्ण हैं

1. बाल केन्द्रित पेडागोजी (CCP: Child Centered Pedagogy)

- बाल केन्द्रित शिक्षण शास्त्र का अर्थ है- बच्चे के अनुभव, स्तर और सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना।
- इस प्रकार के शिक्षण में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास व अभिरुचियों के मद्देनजर शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता है। बालकेन्द्रित शिक्षण में प्रत्येक बच्चा महत्त्वपूर्ण है।
- इस प्रक्रिया में बच्चों के अनुभवों, विचारों व सहभागिता को प्राथमिकता दी जाती है।

2. गतिविधि आधारित अधिगम (ABL: Activity Based Learning)

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2005 के अनुसार बच्चा अपनी गति, स्तर एवं रुचि के अनुसार सीखता है।
- बाल केन्द्रित शिक्षण का तात्पर्य शिक्षण में बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों व उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देने से है।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 (ङ) के अनुसार सीखने-सिखाने की प्रक्रिया बालकों के अनुरूप गतिविधि आधारित एवं खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली हो।
- इस हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रत्येक बच्चे के सीखने को सुनिश्चत करने के लिए गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
- सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के स्तरानुसार गतिविधियों में परिवर्तन कर वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
- इस अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 व 2 में गतिविधि आधारित शिक्षण कक्षों की स्थापना की जा रही है।

बाल केन्द्रित / गतिविधि आधारित शिक्षण की विशेषताएँ :-

- बच्चों को पहल करने का अवसर मिलता है।
- बच्चे को 'करके सीखने 'पर बल दिया जाता है तथा शिक्षण योजना बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखकर बनायी जाती है।
- शिक्षक-शिक्षार्थी के बीच अंतर्संबंध बढ़ता है।
- शिक्षक सभी पाठों के लिए समूह में सीखने के अवसर देने हेतु दैनिक योजना का निर्माण करते हैं।
- शिक्षक बालकेन्द्रित शिक्षण विधियों को प्रयोग में लेने से पूर्व तैयारी व योजना के साथ ही कक्षा में प्रवेश करते हैं।
- आकलन को सीखने-सौखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया जाता है। आकलन का उपयोग केवल बच्चे के अधिगम स्तर को जानने के बजाय उनकी आवश्यकताओं को जानने के लिए किया जाता है।
- बच्चों की सक्रियता सुनिश्चित करते हुए उनसे फीडबैक लिया जाता है।
- बच्चे तरह-तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर जुड़े रहते हैं तथा कक्षा-कक्ष में गतिविधि के अनुसार बैठक व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है।

3. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन CCE

- सतत् शब्द का तात्पर्य इस बात पर बल देने से है कि बच्चे को 'वृद्धि एवं विकास' के ज्ञात पहलुओं का मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है न कि घटना।
- मूल्यांकन प्रक्रिया संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्मित होती है तथा संपूर्ण शैक्षणिक सत्र तक चलती है।
- निरंतर व आवधिक रूप से विद्यार्थी के संवृद्धि व विकास के शैक्षिक पक्ष के साथ सह-शैक्षिक क्षेत्रों को भी शामिल करने से है। इसमें मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों, साधनों (परीक्षण

और गैर-परीक्षण दोनों) का उपयोग अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों जैसे- ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन व सृजन का आकलन करने के लिए किया जाता है।
- बाल केन्द्रित (गतिविधि आधारित) शिक्षण पद्धति तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन SIQE कार्यक्रम के मूल आधार है। ये दोनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए है।
- CCP/ABL, तथा CCE सीखने सीखाने को ऐसी समन्वित प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर, गति व रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण व मूल्यांकन का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। इस समन्वित प्रक्रिया की मूल मान्यताएँ हैं-
- सभी बच्चे सीख सकते हैं।
- सभी शिक्षक सीखा सकते हैं।
- सीखने-सौखाने की प्रक्रिया में बच्चे के अनुसार परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।
- सतत् रूप से आकलन करते हुए प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखते हुए शिक्षण किया जाये तथा आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार इसमें बदलाव कर आगे बढ़ा जाये।

नो बैग डे

- मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 15 अक्टूबर, 2020 को नो बैग डे कार्यक्रम की शुरूआत की।
- राज्य सरकार द्वारा बच्चों को खेल खेल में शिक्षा, बच्चों के स्कूल के प्रति डर को कम करने तथा बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में शनिवार के दिन 'नो बैग डे" कार्यक्रम को शुरूआत की गई है।

- इस क्रम में इस सत्र 2021-22 से प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को 'बस्ता मुक्त दिवस' मनाया जा रहा है।
- 'No Bag Day' का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान अध्ययन अध्यापन के पारम्परिक तरीकों से इत्तर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को आनंदायी बनाना है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना विद्यालय आएंगे।
- यह दिवस विद्यालय के कार्य दिवसों में गिना जाएगा, लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण अलग से जारी किया जाएगा।
- प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्नलिखित गतिविधियाँ करवाई जानी है-

माह के शनिवार का क्रम - थीम
प्रथम शनिवार - राजस्थान को पहचानो
द्वितीय शनिवार - भाषा कौशल विकास
तृतीय शनिवार- खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान
चतुर्थ शनिवार -मैं वैज्ञानिक बनूँगा
पंचम शनिवार - बाल सभा मेरे अपनों के साथ

- 'No Bag Day' के दिन आनन्दायी तरीके से सिखने-सिखाने की प्रक्रिया कक्षावार न होकर निम्नांकितानुसार कक्षा समूहवार होगी।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN)

- FLN का पूरा नाम : Foundational Literacy and Numeracy
- बुनियादी शिक्षा विद्यार्थियों के भावी जीवन के सीखने का आधार होती है।
- यदि बच्चे शुरूआती कक्षाओं में समझ के साथ बुनियादी पठन-लेखन और गणितीय कौशलों को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें आगे की कक्षाओं में निरन्तर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- प्रारम्भिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि यदि हमारे विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह आरंभिक कक्षाओं में बुनियादी शिक्षा (बुनियादी पठन-लेखन और अंकगणितीय कौशल) हासिल नहीं कर पाते हैं तो यह शिक्षा नीति अप्रासंगिक होगी।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थी पढ़ने लिखने और अंकगणित के मूलभूत कौशल हासिल कर पाये, इस हेतु निपुण भारत योजना के तहत् विद्यार्थियों में बुनियादी कौशल सीखने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
- राष्ट्रीय स्तर पर मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का गठन कर सत्र 2026-27 तक कक्षा-3 तक के विद्यार्थियों में 17 कौशल हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इसके अन्तर्गत कक्षा 3 तक/ 3-9 वर्ष के बच्चों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

निपुण भारत के उद्देश्य-

- निपुण (NIPUN) का पूरा नाम : नेशनल इनीशिऐटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एण्ड न्यूमेरेसी
- खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण में विद्यार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी घरेलू भाषाओं को कक्षा प्रक्रिया में शामिल करके एक समावेशी कक्षा का वातावरण सुनिश्चित करना।
- देश का प्रत्येक बालक कक्षा 3 के स्तर को पूरा करने के साथ बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में दक्ष हो।
- पठन और लेखन कौशलों का विकास करते हुए विद्यार्थियों को स्वतंत्र पाठक और लेखक बनने में सक्षम बनाना।
- विद्यार्थियों में संख्या पूर्व अवधारणाओं जैसे कि माप, आकार की समझ, अनुमान लगाना, कम ज्यादा का अंतर आदि की समझ विकसित करते हुए संख्या और स्थानिकमान की समझ को विकसित करना।
- सभी हितधारकों अर्थात् शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय, नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना।
- विद्यार्थियों की परिचित/घर/मातृभाषा (भाषाओं) में उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
- सभी छात्रों के सीखने के स्तर की ट्रेकिंग सुनिश्चित करना।
- शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शैक्षणिक संसाधन व्यक्तियों और शिक्षा प्रशासकों के निरंतर क्षमता निर्माण पर ध्यान देना।

- पोर्टफोलियो, समूह और सहयोगी कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतीकरण, लघु परीक्षण आदि के माध्यम से सीखने के लिए सतत् मूल्यांकन सुनिश्चित करना।

क्रियान्वयन की कार्यनीति

- 1. इसके अंतर्गत प्री स्कूल से कक्षा 3 सहित 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की मूलभूत दक्षताओं को अर्जित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 2. इस राष्ट्रव्यापी मिशन को राजस्थान के शैक्षिक संदर्भ और परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया गया है।
- 3. मिशन को क्रियान्वित करने के लिए अपनाई गयी कार्यनीति इस प्रकार है-
- आंगनबाड़ी से स्कूल तक बच्चों का निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु ईसीसीई पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को प्री स्कूल और प्राथमिक कक्षाओं में अपनाया जाएगा।
- प्राथमिक कक्षाओं में शैक्षिक प्रक्रियाओं के नवाचारों को शामिल किया जायेगा, इसके अंतर्गत कक्षाओं में विद्यार्थियों की अधिगम जरूरतों के अनुसार लचीलापन रखा जायेगा और कक्षाओं को अधिक सक्रिय बनाया जायेगा।
- शिक्षकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए Interactive Plateform माध्यम से प्रशिक्षन द्वारा शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन करना।
- विद्यार्थियों की 360 डिग्री आधारित व्यापक आकलन प्रक्रिया को अपनाना जिसमें स्कूल आधारित मूल्यांकन और व्यापक स्तर के मानकीकृत मूल्यांकन शामिल हैं।
- शिक्षकों को सीखने-सीखाने की प्रक्रिया में प्रशासनिक संबलन उपलब्ध करवाना, जिसके अंतर्गत बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए उन्हें नियमित नाश्ता, मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाना और नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाने के साथ-साथ समुदाय की सहभागिता बढ़ाना।

अधिगम मूल्यांकन

1. मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें यह पता लगता है कि जिन दक्षताओं पर विद्यार्थियों के साथ काम किया जा रहा है वे दक्षताएँ किस स्तर तक विकसित हो पाई है।
2. अतः विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन अनिवार्य है।
3. मूलभूत शिक्षा के दौरान मूल्यांकन को मुख्यतः दो प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

I. विद्यालय आधारित मूल्यांकन

- मूल्यांकन के लिए विभिन्न साधनों और तकनीकों का उपयोगा किया जाना चाहिए।
- यह तनाव मुक्त होना चाहिए।
- शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि मूलभूत वर्षों के दौरान विकास प्रक्रिया को सहायता दी जा सके।
- यह विभिन्न अनुभवों और गतिविधियों में बच्चे के प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए।
- यह गुणात्मक अवलोकन के आधार पर होना चाहिए।

II. बड़े पैमाने पर मानकीकृत मूल्यांकन

- मूल्यांकन अध्ययन का उपयोग जवाबदेह बनाने, अधिगम स्तर में सुधार करने व कार्यनीतियों को पारिभाषित करने हेतु किया जाता है।
- यह मूल्यांकन राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर डाटा प्रणाली केन्द्रित है।
- इसमें तुलना शामिल है।
- उपकरण और तकनीक मानकीकृत होती है।
- अधिकांशतः बहुविकल्पो प्रश्नों को शामिल किया जाता है।

समग्र शिक्षा अभियान 1.0

- सर्व शिक्षा अभियान 16 नवम्बर, 2000 से संचालित किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण देश में सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा (Universal Elementary Education-UEE) उपलब्ध करवाना था।
- यह केन्द्र प्रवर्तित व्यापक कार्यक्रम है जो विद्यालय तक सुगम पहुँच तथा बेहतर अधिगम परिणामों के समान अवसर उपलब्ध करवाने व विद्यालयी शिक्षा में सुधार के व्यापक लक्ष्यों को सामने रख पूर्व प्राथमिक से बारहवीं कक्षा स्तर को समग्र रूप से समाहित कर शुरू किया गया है।
- यह भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), लोक जुम्बिश, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड आदि कार्यक्रमों को समाहित किया गया।
- समग्र शिक्षा के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCScE) का गठन किया गया है जिसका पंजीयन दिनांक 03.09.2020 को करवाया गया है।
- सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के तहत निम्नलिखित मुख्य क्षेत्र -

1. सार्वभौमिक पहुँच (Universal Access)
2. सार्वभौमिक नामांकन (Universal Enrolment)
3. सार्वभौमिक प्रतिधारण (Universal Retention)
4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA):

नोट-

1. यह योजना मार्च, 2009 से प्रारम्भ हुई और सत्र 2009-10 से इसका क्रियान्वयन हुआ।
2. इस योजना में 14 से 18 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को शामिल किया गया।
3. इसमें 9 से 12वीं तक की कक्षाएँ शामिल थी।
4. राजस्थान में इसका क्रियान्वयन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् (RCSE) जयपुर द्वारा किया गया था।
5. 'शगुन' नाम से एक सरकारी पोर्टल है जिसे (SSA) कार्यक्रम की निगरानी के लिए 2017 में लॉन्च किया गया है। यह विश्व बैंक एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है।

'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा'

- केन्द्रीय बजट 2018-19 में केन्द्र सरकार ने पूर्व प्राथमिक - प्री-प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक शिक्षा में समग्र विकास के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरूआत की गई।

- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के युक्तीकरण पर अक्टूबर, 2015 में प्राप्त मुख्यमंत्रियों के समूह की सिफारिशों के अनुसार, केन्द्र और राजस्थान के बीच योजना के लिए फंड शेयरिंग पैटर्न वर्तमान में 60:40 के अनुपात में है।
- यह योजना पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक 'निरंतरता के रूप में विद्यालय' की परिकल्पना करती है।
- विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न कक्षा स्तरों में अंतरण दर में सुधार करने और बच्चों को विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के लिए सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ावा देने में सहायता करती है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति ने 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' देने के लिए 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने की मंजूरी दी।
- भारत सरकार द्वारा सत्र 2018-19 से केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ **'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), सर्व शिक्षा अभियान (SSA) एवं शिक्षक शिक्षा (TE)'** को एकीकृत कर **'समग्र शिक्षा अभियान (SmSA)'** योजना संचालित की गई।
- MHRD के आदेशानुसार 03 अप्रैल, 2018 की अनुपालना में 'समग्र शिक्षा अभियान' योजना का क्रियान्वयन Single State Implementation Society (SIS) के माध्यम से किया गया।
- राज्य में **'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)'** का संचालन **'राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् (RCSE)'** द्वारा तथा **'सर्व शिक्षा अभियान'** का संचालन **'राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् (RCEE)'** द्वारा किया गया।
- इस योजना में फण्ड शेयरिंग पैटर्न में केन्द्र राज्य अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90: 10 तथा अन्य राज्यों हेतु 60: 40 है।

समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य-

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने के प्रावधान करना।
- विद्यालयों में सामाजिक और लैंगिक अन्तर को कम करना।
- सभी स्तरों पर समानता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना।
- व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 में बच्चों के अधिकार के कार्यान्वयन में सहायता करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT/DIET का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना।
- खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना।

समग्र शिक्षा अभियान राजस्थान में

- 1. मानव संसाधन मंत्रालय के आदेशानुसार समग्र शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन Single State Implementation Society के माध्यम से किया जायेगा।
- 2. राजस्थान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) का संचालन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् (RCSE) द्वारा तथा सर्व शिक्षा अभियान का संचालन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् (RCEE) द्वारा किया जा रहा था।
- 3. राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का संचालन करने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् (RCSE) व राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् (RCEE) को एकीकृत कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCScE) का गठन किया गया।
- 4. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् राज्य में समग्र स्कूल शिक्षा (पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक) एवं समग्र शिक्षा अभियान योजना से सम्बन्धित योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतू पूर्ण रूप से उत्तरदायी संस्था है।
- 5. स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की स्थापना शिक्षा संकुल जयपुर में 24 मई, 2018 को की गई, जबकि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का पंजीयन 3 सितम्बर, 2020 को करवाया गया।

समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना-

- निम्नलिखित कार्य योजना बनाई गई है-

(i) डिजिटल शिक्षा

- 5 साल की अवधि में सभी माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड लगाना।
- शिक्षकों के कौशल को बढ़ाने के लिए 'दीक्षा' डिजिटल पोर्टल का व्यापक उपयोग करना।

(ii) स्कूलों का सुदृढीकरण

- स्कूलों का एकीकरण,
- परिवहन सुविधा,
- बुनियादी ढांचे में गुणवत्ता
- स्वच्छता गतिविधियों के लिए 'स्वच्छ विद्यालय का समर्थन करना।

(iii) लड़कियों की शिक्षा

- कस्तूरबा गांधी चालिका विद्यालयों को उच्च माध्यमिक तक उनत करना,
- आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देना।

(iv) समावेशी शिक्षा

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आर्थिक सहायता देना।

(v) कौशल विकास

- व्यावसायिक शिक्षा जो कक्षा 9 से 12 तक संचालित है इसका विकास कर कक्षा 6 से शुरू किया जायेगा और इस कार्यक्रम को अधिक व्यावहारिक और उद्योग उन्मुख बनाया जायेगा।

(vi) खेल और शारीरिक शिक्षा

- खेलो इण्डिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना
- स्कूल के पाठ्यक्रम में खेल की प्रासंगिकता को लागू करना।

(vii) क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना

- देश के शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों सीमावर्ती राज्यों, विशेष जिलों के विकास की कार्य योजना बनाना।

(viii) शिक्षक शिक्षा

- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को अधिक मजबूत करना
- इन संस्थानों को ऑनलाइन व ऑफलाइन सुदृढ़ बनाना।

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

- राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम-259 के उप-नियम (9) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत का 'पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी' (PEEO) नामित किया जाता है।

- पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का मुख्यालय/कार्यालय उसका संबंधित विद्यालय होगा तथा यह विद्यालय ग्राम पंचायत में स्थित समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) का कार्य करेगा।
- पंचायत प्रारम्भिक शिका अधिकारी ही संकुल सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (CRCF) की भूमिका का निर्वहन करत है।

समग्र शिक्षा अभियान-2.0

- समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को नई शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए। 4 अगस्त, 2021 को शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंजूरी दी है।
- समग्र शिक्षा अभियान 2.0 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक चलेगा।

उद्देश्य-

- समावेशी, न्यायसंगत और सुगम स्कूली शिक्षा सबको प्रदान करना।
- समय शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना है।
- इसका वित्तीय स्वरूप से 60:40 (केन्द्रः राज्य) है।
- प्री-प्राइमरी स्तर पर मास्टर केन्द्रों का प्रशिक्षण होगा।
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को समाप्त करना।
- गुणवतापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना।
- प्री-प्राइमरी स्कूलों में खिलौनों के माध्यम से शिक्षण गतिवधि को बढावा देने के लिए 'निपुण भारत पहल योजना' के अन्तर्गत स्वदेशी खिलौनों और खेल आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को 500 रु. प्रतिवर्ष दिये जाऐंगे।
- प्राइमरी व प्री-प्राइमरी शिक्षकों के लिए "निष्ठा (NISHTHA)" के माध्यम से प्रशिक्षण चलाया जाएगा।
- नेशनल मिशन प्रोग्रम- कक्षा तीसरी से पाँचवी तक के बच्चों में लिखने पढ़ने और गणित की कुशलता के लिए चलाया जाएगा।
- DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सभी बाल केन्द्रित लाभ छात्रों को सीधे पहुँचाये जाऐंगे जिसमें पाठ्यपुस्तकें वर्दी और परिवहन भत्ता आदि सुविधाएँ हैं।
- विद्यालय में वोकेशलन कार्यक्रम पर जोर दिया जाएगा।
- समय प्रगति कार्ड (मूल्याकंन समग्र प्रगति कार्ड) पर पर - **Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development** (PARAKH) मूल्याकंन केन्द्र अपनी निगरानी बनाये रखेगा।
- खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में 2 राष्ट्रीय पदक जीतने वाले स्कूल को 25 हजार रुपये तक खेल अनुदान दिया जायेगा।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड किया जायेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का समर्थन करना।
- प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) पर ध्यान।
- सभी स्तरों के लिए गुणवत्ता और नवाचार - हॉलेस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (HPC) का प्रावधान इस कार्ड में प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण एवं बहुआयामी प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा जिसमें बच्चे के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों को देखा जायेगा।
- शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन के लिए 'मूल्यांकन सेल' की स्थापना करना।

समसा के तहत संचालित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम

1. निपुण भारत मिशन

- निपुण (NIPUN) का पूरा नाम : नेशनल इनीशिऐटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एण्ड न्यूमेरेसी
- शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम 5 जुलाई, 2021 को प्रारम्भ किया गया।
- इसे 'राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल' भी कहा जाता है।
- यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है।
- इसके अन्तर्गत बाल वाटिका के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों (3 से 9 वर्ष) का साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जायेगा।

2. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

- इसमें तीन योजनाओं को एक साथ है-

(i) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना भारत सरकार (MHRD) ने जुलाई-अगस्त 2004 में की।
- इसका नामकरण राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की पत्नी श्रीमती कस्तूरबा देवी के नाम पर किया गया।
- यह योजना कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए प्रारम्भ की गई थी।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के उद्देश्य-

- अधिक उम्र की शिक्षा से चचित बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ता है जो कठिन परिस्थितियों एवं दुर्गम स्थानों में रहने के कारण प्राथमिक कक्षाओं के बाद विद्यालय नहीं जा सकी।
- मुख्य रूप से इस प्रकार की बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर हैं तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है। (विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाली जाति या समुदायों की बालिकाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।)
- 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय को बालिकाओं तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराना।

(ii) शारदे बालिका छात्रावास

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य रे ऐसे क्षेत्रों में बालिका छात्रावासों का निर्माण करवाया।

- इन छात्रावासों का राज्य के 31 जिलों में स्थित शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक्स (EBB) में निर्माण सत्र 2009-10 में करवाया गया।
- केन्द्र व राज्य सरकार का वित्तीय सहयोग अनुपात 90:10 है।
- ये छात्रावास 100 बालिकाओं के लिए जो कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो।
- 50 प्रतिशत प्रवेश BPL श्रेणी के परिवारों (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक) की बालिकाओं को दिया जायेगा।

(iii) एकीकृत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

- सत्र 2018-19 से दोनों योजनाओं (KGBV व शारदे बालिका छात्रावास) को एक करके एकीकृत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय नामक योजना प्रारम्भ की गई।
- इसका प्रबंधन समग्र शिक्षा अभियान, (SmSA) द्वारा किया जाता है।
- अब एकीकृत KGBV कक्षा 6 से 12 तक को बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करता है।
- प्रवेश को प्रक्रिया पूर्व की तरह है।
- KGBV के कुल मॉडल-4 हो गए हैं लेकिन राजस्थान में मॉडल-1 मॉडल-III व मॉडल-IV को ही अपनाया गया है।

3. महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना

- राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12वीं तक, स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- इन विद्यालयों को जिलों एवं ब्लॉक में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके।
- महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से सम्बद्ध रहेगा।

4. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल

- मॉडल स्कूल केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजना है।
- मॉडल स्कूल योजना का प्रारम्भ नवम्बर, 2008 में किया गया।
- यह विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है जबकि इसमें नियुक्त कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा प्रति नियुक्ति पर रखे जाते हैं।
- शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक में केन्द्रीय विद्यालयों के पैटर्न पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए इन विद्यालयों की अवधारणा विकसित की गई।
- इन स्कूलों के मानक केन्द्रीय स्कूलों के मानकों (आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात, आधुनिक आई. सी. टी. का उपयोग, सृजनात्मक शैक्षिक वातावरण, उपयुक्त पाठ्यचर्या) के समान होंगे और बोर्ड परीक्षाओं में निष्पादन का लक्ष्य भी 'केन्द्रीय स्कूल संगठन' के औसत निष्पादन के बराबर होगा।

5. क्लिक योजना (Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge)

- क्लिक (CLICK) योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय व स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्रों के सहयोग से स्वैच्छिक व स्ववित्तपोषण आधारित कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण हेतु क्लिक योजना सत्र 2017-18 में प्रारम्भ की गई थी।

6. मेवात बालिका आवासीय विद्यालय (MBAV):

- अलवर जिले में संचालित मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय खोलकर सुविधा से वंचित वर्गों की बालिकाओं के लिए पहुँच एवं उत्तम शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में सत्र 2016-17 में 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन KGBV पैटर्न पर शाला प्रबन्धन समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। मेवात बालिका आवासीय विद्यालय में 50 बालिकाओं का नामांकन होता है।

7. समावेशी शिक्षा योजना

- समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं यथा-पूर्ण दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टि वाधित, श्रवण बाधित, वाक एवं भाषा बाधित, अस्थि दोष, मानसिक विमन्दित, अधिगम अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म एवं बहु-विकलांगता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय, क्रियात्मक शैक्षिक एवं थैरेपिक सम्बलन प्रदान किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

1. एस आई क्यू इ का पूरा नाम है-

(a) स्टेट इनस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन
(b) स्टेट इनिशियेटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन
(c) स्टेट इनिशियेटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन
(d) स्टेट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ क्वालिटी

2. स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन (SIQE) कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन-सी एस.आई.ई.आर.टी. के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं थी?

(a) राजयकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना।
(b) DIETs की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनका क्षमता संवर्धन करना
(c) प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने तकनीकी सहायता प्रदान करना।
(d) अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा।

3. 'स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन' परियोजना में शैक्षिक, समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य ..... द्वारा किया जाता है।

(a) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
(b) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
(c) भारत सरकार
(d) निदेशालय स्कूल शिक्षा

4. राजस्थान में 'स्माइल कार्यक्रम' किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है?
(a) सरकारी विद्यालय
(b) निजी विद्यालय
(c) अनुदानित विद्यालय
(d) आवासीय (बोर्डिंग) विद्यालय

5. स्कूल में ई-लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट SMILE का पूर्णरूप है-
(a) Social Media Interface for Learning Engagement
(b) Social Media Interaction for Learning Enhancement
(c) Social Media Interface for Learning Enhancement
(d) Social Media Interaction for Learning Engagement

6. राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम SMILE कार्यक्रम कब शुरू किया गया था?
(a) 13 अप्रैल, 2020 (b) 02 नवम्बर, 2020
(c) 13 अप्रैल, 2021 (d) 21 जून, 2021

7. राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किये गये कार्यक्रम का नाम क्या है?
(a) दीक्षा कार्यक्रम (b) सहेली कार्यक्रम
(c) स्माइल कार्यक्रम (d) ईमली कार्यक्रम

8. कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कौन-सी योजना लागू की गई थी?
(a) जन वाणी
(b) शिक्षा वाणी
(c) शिक्षा दर्शन
(d) जन दर्शन

9. राइज-दीक्षा पोर्टल में 'राइज' का पूर्ण रूप है-
(a) राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजूकेटर्स
(b) राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजूकेशन
(c) राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजूकेशन
(d) राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजूकेटर्स

10. "राइज-दीक्षा" पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा?
(a) प्रधानाध्यापक को-विद्यालय समस्याओं के समाधान हेतु
(b) शिक्षा अधिकारियों-विद्यालयी प्रगति की निगरानी हेतु।
(c) अध्यापकों को -उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु।
(d) विद्यार्थियों को-पाठ्यवस्तु के अधिगम हेतु

11. समग्र शिक्षा अभियान (समसा) 2.0 का आरम्भ कब हुआ?
(a) 4 अगस्त, 2021 (b) 15 अगस्त, 2021
(c) 20 अगस्त, 2021 (d) 30 अगस्त, 2021

12. राजस्थान सरकार द्वारा RKSMBK (राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम) एप कब लॉन्च किया गया था?
(a) 14 अगस्त, 2022 (b) 21 अगस्त, 2022
(c) 14 सितम्बर, 2022 (d) 05 सितम्बर, 2022

13. 'मिशन बुनियाद कार्यक्रम' का आरम्भ कब हुआ?
(a) 26 जनवरी, 2022 (b) 20 फरवरी, 2022
(c) 11 जुलाई, 2022 (d) 5 सितंबर, 2022

14. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान के 'समग्र शिक्षा अभियान' का मुख्य लक्ष्य नहीं है?
(a) प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना
(b) विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना।
(c) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना
(d) विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना।

15. समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन-सी योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं?
(a) एस.एस.ए. एवं आर.एम.एस.ए.
(b) एस.एस.ए., आर.एम.एस.ए. एवं अध्यापक शिक्षा
(c) एस.एस.ए., डी.पी.ई.पी. एवं आर.एम.एस.ए.
(d) डी.पी.ई.पी., आर.एम.एस.ए. एवं विद्यालय शिक्षा

16. राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित हुए है, वे हैं-
(a) नवादय विद्यालय
(b) सैनिक स्कूल
(c) शारदे बालिका छात्रावास
(d) स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल

17. एस.एस.ए. (सर्व शिक्षा अभियान) शुरू किया गया था-
(a) 2009 (b) 2001
(c) 2008 (d) 2004

18. समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है -
(a) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना
(b) खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन
(c) शिक्षक, शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना
(d) जेण्डर गैप को बढ़ाना

19. क्लिक योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उसमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है?
(a) कक्षा 1 से 10 तक
(b) कक्षा 6 से 10 तक
(c) कक्षा 6 से 12 तक
(d) कक्षा 4 से 12 तक

20. समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है?
(a) PEEO (b) ADED
(c) BEEO (d) CBEO

21. SIQE का पूरा नाम क्या है?
(a) स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुसेट
(b) स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन
(c) स्टेट इंप्रूवमेन्ट प्रोग्राम फॉर क्वालिटी एजुकेशन
(d) स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन

22. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन SIQE परियोजना के उद्देश्य को दर्शाता है?
(a) विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना।
(b) प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की Transition Rate में उच्चतम स्तर तक सुधार लाना।
(c) विद्यार्थियों का उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना।
(d) उपर्युक्त सभी

23. SIQE समन्वित कार्यक्रम में शामिल है-
(a) ABL (b) CCE
(c) CCP (d) उपर्युक्त सभी

24. SIQE के स्तम्भ में सम्मिलित है-
1. शिक्षाशास्त्र परिवर्तन
2. क्षमता निर्माण
3. प्रबंधन
4. संस्थागत विकास
कूट :
(a) 1 व 3 (b) 2, 3 व 4
(c) केवल 3 (d) 1, 2, 3 व 4

25. दीक्षा राइज पोर्टल की विशेषता है-
(a) राज्य के आस-पास के शिक्षकों से जुड़ना
(b) व्यक्तित्व प्रधान पाठ्यक्रम को चुनना
(c) अपनी स्वयं की विषयवस्तु सृजित करना
(d) उपर्युक्त सभी

26. 'DIKSHA' किसकी पहल है?
(a) CBSE (b) NCERT
(c) UPSC (d) RPSC

27. दीक्षा – राइज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) विद्यार्थियों को सशक्त बनाना
(b) शिक्षकों को सशक्त बनाना
(c) अभिभावकों को सशक्त बनाना
(d) उपर्युक्त सभी

28. समग्र शिक्षा अभियान कब से प्रारम्भ किया गया?
(a) वर्ष 2017-18 (b) वर्ष 2018-19
(c) वर्ष 2016-17 (d) वर्ष 2019-20

29. DIKSHA पहल की शुरुआत हुई-
(a) अक्टूबर, 2017 (b) सितम्बर, 2017
(c) सितम्बर, 2018 (d) सितम्बर, 2019

30. दीक्षा-राइज का आधार वाक्य है-
(a) सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा
(b) हमारे शिक्षक, हमारे नायक
(c) घर में शिक्षा
(d) इनमें से कोई नहीं

31. 'SMILE' कार्यक्रम किसका नवाचार है?
(a) राजस्थान लोक सेवा आयोग
(b) राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग
(c) राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग
(d) राजस्थान पर्यटन विभाग

32. 'SMILE' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श देना
(b) छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा देना
(c) छात्रों को तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवाना
(d) छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा में निपुण करना

33. स्माइल 2.0 प्रारम्भ हुआ-
(a) फरवरी, 2020 (b) नवम्बर, 2020
(c) नवम्बर, 2021 (d) फरवरी, 2021

34. 'शिक्षा दर्शन' कार्यक्रम की शुरुआत हुई
(a) अप्रैल, 2020 (b) मई, 2020
(c) जून, 2020 (d) जुलाई, 2020

35. आओ घर में सीखें 2.0 कार्यक्रम कब आरंभ किया गया?
(a) नवम्बर, 2020 (b) जुलाई, 2021
(c) जून, 2020 (d) जून, 2021

36. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत सीखने की प्रकृति को दर्शाता हुआ कौन-सा कथन गलत है?
(a) सीखना एक सतत प्रक्रिया है।
(b) सीखना चक्रीय होता है।
(c) सीखना रैखिक होता है।
(d) सीखने की समग्र प्रकृति

37. CCE संकल्पना में निम्न में से कौन-सा शब्द शामिल नहीं है?
(a) सतत (b) व्यापक
(c) मूल्यांकन (d) संश्लेषण

38. निम्नलिखित में से कौन-सा तत्त्व सह – शैक्षिक पहलुओं में शामिल होता है?
(a) जीवन कौशल (b) सह - पाठ्यचर्या
(c) अभिवृत्तियाँ और मूल्य (d) उपर्युक्त सभी

39. कौन-सा आकलन सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के बाद न होकर उसके पहले होता है?
(a) सीखने का आकलन (b) सीखने के रूप में आकलन
(c) सीखने के लिए आकलन (d) उपर्युक्त सभी

40. CBSE ग्रेडिंग व्यवस्था के संदर्भ में असुमेलित युग्म है-
(a) A1 : 91-100 (b) B2 : 61-70
(c) C1 : 51-60 (d) D : 31- 40

41. दीक्षा कार्यक्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया गया है?
(a) ओपन रिसर्च टेक्नोलॉजी (b) ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी
(c) ओपन रेंज टेक्नोलॉजी (d) ओपन एयर टेक्नोलॉजी

42. राइज (RISE) का पूर्ण रूप है-
(a) Realistic Image Synthesis Engine
(b) Retention Involvement Social Enhancement
(c) Revitalising of Infrastructure and Systems in Education
(d) Rajasthan Interface for School Educators

43. DIKSHA portal का राजस्थान संस्करण है-
(a) DIKSHA Darshan (b) DIKSHA Vani
(c) DIKSHA RISE (d) DIKSHA Samarth

44. निष्ठा (NISHTHA) का पूर्ण रूप है-
(a) National Intractive for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement
(b) National Initiative for Student Heads' and Teachers' Holistic Advancement
(c) National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement
(d) National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Academic

45. संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18.8.2020 को एक एप प्रारम्भ किया है। उस एप का नाम कया है?
(a) देववाणी एप (b) अमृतवाणी एप
(c) सरस्वती एप (d) सुभाष एप

46. राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है?
(a) दीक्षा कार्यक्रम (b) सहेली कार्यक्रम
(c) स्माइल कार्यक्रम (d) इमली कार्यक्रम

47. 'SMILE' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है-
(a) छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श देना
(b) छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा देना
(c) छात्रों को तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवाना
(d) छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा में निपुण करना

48. 'SMILE' कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई?
(a) अप्रैल, 2020 (b) मई, 2020
(c) जनवरी, 2021 (d) जुलाई, 2021

49. निम्नलिखित में से कौन-सी क्रियाएँ स्माइल कार्यक्रम में शामिल है?
(a) शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को कॉल करना
(b) क्विज में विद्यार्थियों की भागीदारी
(c) गृहकार्य
(d) उपर्युक्त सभी

50. 'शिक्षा दर्शन' कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई?
(a) 6 अप्रैल, 2020 (b) 5 मई, 2020
(c) 1 जून, 2020 (d) 10 जुलाई, 2020

51. स्माइल 3.0 शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ-
(a) 10 अप्रैल, 2018 (b) 21 जून, 2021
(c) 2 अक्टूबर, 2021 (d) 6 मार्च, 2019

52. शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन में बच्चे की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए ..... नामक रेडियो कार्यक्रम चलाया गया।
(a) ज्ञानदर्शन (b) शिक्षावाणी
(c) आओ घर में सीखें (d) निष्ठा

53. भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) को किस वर्ष में आरम्भ किया गया?
(a) 2007 (b) 2008
(c) 2009 (d) 2010

54. सर्व शिक्षा अभियान (SSA) भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया?
(a) 84 वाँ संशोधन (b) 85 वाँ संशोधन
(c) 86 वाँ संशोधन (d) 88 वाँ संशोधन

55. 'एस.एस.ए.' योजना के दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या थे?
(a) 85 : 15 (b) 75 : 25
(c) 70 : 30 (d) 50 : 50

56. 11 वीं एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात क्या था?
(a) 50 : 50 (b) 60 : 40
(c) 70 : 30 (d) 75 : 25

57. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV) का आरम्भ हुआ-
(a) 2001 (b) 2002
(c) 2003 (d) 2004

58. सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए?
(a) 2005 (b) 2010
(c) 2000 (d) 2020

59. राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे हैं-
(a) नवोदय विद्यालय
(b) सैनिक स्कूल
(c) शारदे बालिका छात्रावास
(d) स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल

ANSWER KEY

1. [b]	2. [a]	3. [b]	4. [a]	5. [a]
6. [a]	7. [c]	8. [b]	9. [a]	10. [c]
11. [a]	12. [d]	13. [b]	14. [a]	15. [b]
16. [d]	17. [b]	18. [d]	19. [b]	20. [d]
21. [d]	22. [d]	23. [d]	24. [d]	25. [d]
26. [b]	27. [b]	28. [b]	29. [b]	30. [b]
31. [c]	32. [b]	33. [b]	34. [c]	35. [d]
36. [c]	37. [d]	38. [d]	39. [c]	40. [d]
41. [b]	42. [d]	43. [c]	44. [c]	45. [a]
46. [c]	47. [b]	48. [a]	49. [d]	50. [c]
51. [b]	52. [b]	53. [c]	54. [c]	55. [b]
56. [d]	57. [d]	58. [b]	59. [d]	

♦♦♦♦

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की प्रमुख योजनाएँ-

1. गार्गी (सीनियर) पुरस्कार योजना-

- **शुरुआत** - 1997-1998 में
- **लाभान्वित वर्ग-** समस्त वर्ग की बालिकाएँ।
- 6000 रु. का चैक एकमुश्त दिया जाता है।

पात्रता-

i. वे सभी बालिकाएँ पात्र होगी जिन्होंने कक्षा 10 में 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये है।

ii. राजकीय निजी विद्यालय व स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय से कक्षा 10 उर्तीण बालिकाओं को कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर प्रति वर्ष 3,000 रुपये व प्रमाण प्रत्र दिया जाता है।

- यह पुरस्कार बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है।

2. शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु-आर्थिक सबलता पुरस्कार

- **शुरुआत -** 2004-05 में

पात्रता –

- योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएँ जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग है।
- 2000 रु. की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिका को और 9 से 12 में अध्ययनरत को 5,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है।

3. मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार-

- **शुरुआत -** 2005-06 में

पात्रता –

- राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिका को व 9 से 12 में अध्ययनरत को 5,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है।
- योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

4. आपकी बेटी योजना-

- वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई।

पात्रता-

- योजनान्तर्गत "गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएँ जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो" ऐसी बालिकाएँ जो कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत है को लाभान्वित किया जाता है।
- कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् बालिकाओं को 2100 रु. प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 2500 रु. प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

5. राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना

परिचय:

- 2011 में राजस्थान में लड़कियों की साक्षरता दर 52.12% थी, जो हाल ही में 57.6% रिपोर्ट की गई है, जो देश में सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में लड़कियों की साक्षरता दर सबसे कम है।
- राजस्थान सरकार ने लड़कियों की साक्षरता बढ़ाने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

योजना का शुभारंभ:

- राजस्थान सरकार ने 2019 में **"राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना"** शुरू की।
- **योजना के लाभ:**
- इस योजना के तहत, राजस्थान बोर्ड की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कारों की संरचना इस प्रकार है:
- **8वीं कक्षा में जिला टॉपर छात्रा को ₹40,000।**
- **10वीं कक्षा में जिला टॉपर छात्रा को ₹75,000।**
- **12वीं कक्षा में जिला टॉपर छात्रा को ₹1,00,000** और एक **स्कूटी** (12वीं कक्षा में प्रत्येक पात्र छात्रा को)।

पात्रता शर्तें:

- छात्रा **राजस्थान की स्थायी निवासी** होनी चाहिए।
- वह कक्षा 8, 10, और 12 में राजस्थान बोर्ड से परीक्षा देती हो और जिला टॉपर बनें।
- यह योजना लड़कियों को शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

6. विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना

- **शुरुआत -** 2010-11 में

पात्रता – राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मैरिट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने करने वाली वाली, बालिकाएं और स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10 में राज्य स्तर की मैरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली एक बालिका को कक्षा 12 वीं उर्तीण करने के बाद भी स्नातक स्तर (4 वर्षीय) तक राजकीय खर्चे पर अधिकतम 25 लाख रुपये तक की सुविधा दी जाती है।

- बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वहन किया जाता है।

7. मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना-

- **शुरुआत -** 2015-16 में

पात्रता – राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा एक बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका इस प्रकार प्रत्येक जिले से चार बालिकाएँ (न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक) इस योजना के लिए पात्र हैं।

Reet Mains L-1 (I[st] Shift) 25.02.2023

1. शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए?
(A) सरल से जटिल
(B) निःउद्देश्य
(C) जटिल से सरल
(D) सीखने में अधिक समय लगाने वाली **[A]**

2. ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें परिभाषित किया गया है-
(A) दुर्बल वर्ग में
(B) विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में
(C) गरीबी रेखा के नीचे का समूह
(D) अलाभित/असुविधाग्रस्त समूह में **[D]**

3. समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है?
(A) PEEO (B) ADED
(C) BEEO (D) CBEO **[D]**

4. विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम सदस्य माता-पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए।
(A) 1/4 (B) 1/2
(C) 2/3 (D) 3/4 **[D]**

5. राजस्थान RTE अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएँ हैं?
(A) 8 भाग 20 धाराएँ (B) 10 भाग 29 धाराएँ
(C) 10 भाग 30 धाराएँ (D) 8 भाग 29 धाराएँ **[B]**

6. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 ..... आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है-
(A) 3 से 18 वर्ष (B) 6 से 14 वर्ष
(C) 6 से 16 वर्ष (D) 6 से 22 वर्ष **[B]**

7. अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे?
(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5 **[D]**

8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी-
(A) माध्यमिक शिक्षा आयोग
(B) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)
(C) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग
(D) शिक्षा आयोग (1964-66) **[C]**

9. प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम, 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है-
(A) 25:1 (B) 30:1
(C) 35:1 (D) 40:1 **[B]**

Reet Mains L-2 science & Math 25.02.2023

1. निम्नलिखित में से कौनसी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित <u>नहीं</u> है?
(A) शुभशक्ति योजना
(B) नवजीवन योजना
(C) स्वाधार ग्रह योजना
(D) पालनहार योजना **[A]**

2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है?
(A) बच्चे की उम्र
(B) बच्चे की क्षमता
(C) माता-पिता की शिक्षा
(D) बच्चे की सामाजिक-आर्थिक स्थिति **[A]**

2. प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है?
(A) प्राचार्य
(B) राज्य के शिक्षा मंत्री
(C) खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
(D) विद्यालय के हेड मास्टर **[C]**

3. राजस्थान RTE नियम 2011 के अनुसार, प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे ..... को की जाएगी?
(A) स्थानीय प्राधिकरण
(B) प्राचार्य
(C) विद्यालय
(D) खण्ड शिक्षा अधिकारी **[C]**

4. RTE में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ, अर्हताएँ व सेवा शर्तें निर्धारित हैं?
(A) धारा 22 में
(B) धारा 23 में
(C) धारा 24 में
(D) धारा 25 में **[B]**

5. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (NIAE) की स्थापना कब हुई?
(A) 1990 में
(B) 1991 में
(C) 1993 में
(D) 1992 में **[B]**

6. NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है?
(A) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
(B) बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिये शैक्षिक कक्षाएँ
(C) बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल
(D) बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल **[A]**

विज्ञापन

मुश्किल परीक्षाऐं भी आसान लगेगी
जब तैयारी होगी लक्ष्य के साथ

लक्ष्य क्लासेज उदयपुर

तृतीय श्रेणी (3rd Grade)

अध्यापक भर्ती परीक्षा

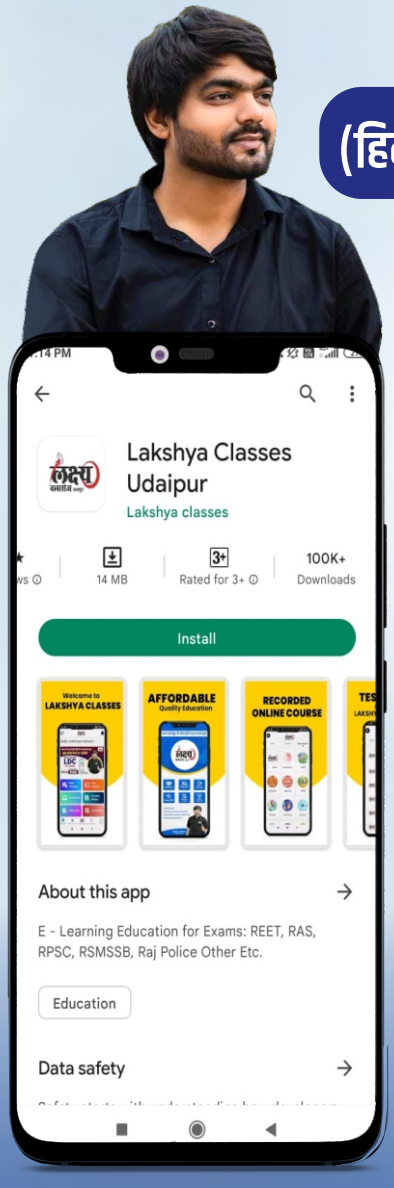

LEVEL-I and LEVEL-II

(हिन्दी, ENGLISH, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, SCIENCE-MATH)

- COURSE OFFERED -

- NOTES WITH LIVE FROM CLASSROOM BATCH
- NOTES WITH RECORDED BATCH
- MCQ BASED BATCH
- TASK BASED TEST SERIES
- OFFLINE CLASSROOM BATCH

क्यों हैं लक्ष्य क्लासेज विशेष?

- व्यापक अध्ययन सामग्री
- MCQ की बुकलेट
- नियमित टेस्ट सीरीज
- पूर्णत: समर्पित यूट्यूब चैनल
- लाइब्रेरी सुविधा
- अनुभवी एवं योग्य फैकल्टी
- सुसज्जित स्मार्ट क्लासरूम
- ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेस
- मासिक करंट अफेयर्स मैगज़ीन
- नियमित काउंसलिंग

MRP ₹160

Scan to Download
Lakshya App Now
Google play

INSTAGRAM | FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM

S.No.: AP0004

CODE : APGC

सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान

लक्ष्य क्लासेज™

M. 9079798005, 6376491126

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle, Main Road, Udaipur